ग्राम पंचायत बारंग, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्धारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बारंग, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अविध 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्धारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री शशि भूषण	1.4.2014 से
		21.01.2016
2	श्री मति आशा कुमारी	22.01.2016 से लगातार
	सचिव	
क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री परविंदर नेगी	1.4.2014 से
		28.2.2015
2	श्री रूपिंदर मेहता	1.3.2015 से
		8.10.2015
3	श्री दीवान चंद नेगी	9.10.2015 से
		1.12.2016
4	श्री रूपिंदर मेहता	10.12.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-=ग्राम पंचायत बारंग के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0	पैरा	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों
सं0	संख्या		में)
1	6	पंचायत राजस्व की वसूली न करना	0.51
2	8	बिना रसीद जारी करके राजस्व/ अनुदानों की प्राप्ति करना	42.03
3	9	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों,Mustroll हेतु राशि का	4.38
		भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	
		1	
4	11	दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना।	12.40
5	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	4.21
6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/ स्टोर का क्रय करना	4.21
7	14	क्रय की गई स्थाई एवं अस्थाई मदों की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न	4.63
		करना	
8	15	वाउचर को सत्यापित किए बिना भुगतान करना	1.71

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बारंग, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रिवन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्धारा दिनांक 16.11.2017 से 18.11.2017 के दौरान ग्राम पंचायत बारंग के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

<u>वर्ष</u>	आय	व्यय	
2014-15	12/2014	1/2015	
2015-16	11/2015	12/2015	
2016-17	6/2016	9/2016	

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बारंग, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशिको रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. किन्नौर-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 624/2017 दिनांक 18.11.2017 द्धारा सचिव, ग्राम पंचायत, बारंग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत बारंग द्धारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार own sources Lada, MG NREGA, Integrated Water Shed Project,13th &14th finance commission, Indra Awas yojna, & General cash book (Recorded General Grant In Aid) को अलग अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts पूर्ण नहीं किए गये है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सका। ग्राम पंचायत के अविध 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट- 1" पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत बारंग की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अविध के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबिक हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्धारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.51 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा परिशिष्ट- 2 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक ₹51350 के राजस्व की वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की

बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्धारा "परिशिष्ट -3 में दिये गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹42.03 लाख की प्राप्त आय के स्त्रोत, उद्देश्य इत्यादि के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध न करवाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्धारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्धारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ₹4203661 प्राप्ति के बदले कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत: इस संदर्भ में विभागीय तौर पर इस राशि की प्राप्ति और उद्देश्य की छानबीन की जाए । साथ ही नियमानुसार प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt of Grant	Amount of Receipt	Cash Book Page No.	Account no. in which Grant Credited	From where Grant/ Income Received
22.12.2014	4100000.00	315	0124	S.D.M. Reckongpeo.
3.11.2015	100000.00	329	0124	Own Income from Apple
				Orchard.
9.6.2016	3661.00	330	0124	D.P.O. Kinnour.
Total	4203661.00			

9. नियमों के विपरीत विभिन्न व्ययों पर ₹4.39 लाख का नकद भुगतान

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार 1000/- से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्धारा संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और

चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹438761 के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव को किया गया दर्शाया गया था। ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट- 4 पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान/ पंचायत सचिव के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान/ पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 611/2017 दिनांक 17.11.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 190 दिनांक 17.11.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगे। अंकेक्षण को दिया गया प्रतिउत्तर तर्क संगत नहीं है।

10. निर्धारित फार्म पर बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अविध के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रिजस्टर (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रिजस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्धारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए

11. अनुदान ₹12.40 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्धारा अनुदानों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई परिशिष्ट-5 की सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान ₹1240345 उपयोग हेतु शेष थी। अत: अनुदानों की राशि को विहित अविध के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये

अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अविध बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यीपण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹4.21 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा "परिशिष्ट-6" में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹421160 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिकत किए गए कार्यों को माप पुस्तिका में दर्ज नही किया गया है जो कि संशय पैदा करता है कि वास्तव में परिशिष्ट में दर्शिय गए कार्य किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.21 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्धारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-7" में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्धारा ₹421160/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय की गई ₹4.63 लाख की स्थाई एवं अस्थाई मदों की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्धारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि 1.4. 2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई ₹463270 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण "परिशिष्ट-8" में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी । सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन व खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन, आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही `₹1.71 लाख का भुगतान करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1), (2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्धारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्धारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अविध 1-4-14 से 31.3.17 के दौरान ₹171252 भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि भुगतान जिनका विवरण परिशिष्ट-9 में दिया गया हैं, को ग्राम पंचायत प्रधान द्धारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16. चौकीदार, को किए गए भुगतान के संदर्भ में आवश्यक अभिलेख उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि का रख रखाव न करना

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान चौकीदार, को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि चौकीदार, को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जिसके कारण इस कर्मचारी को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

17. विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रिजस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा निम्न रिजस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रिजस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का	31	95(1)
	रजिस्टर		

18 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्धारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

19 विविध अनियमितताए

(क) ग्राम पंचायत द्धारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम

पंचायत **बारंग** द्धारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93 (ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी सिमिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस सिमिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

- (ख) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बारंग द्धारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पृष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अविध के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।
- 20. लघु आपित विवरणिका: लघु आपित्त विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपित्तयों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।
- 21. निष्कर्ष: लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन्(एल०ए०)एच(पंच)(15)(ix) 3/2017 खण्ड-1-2258-2261 दिनांक 02.04.2018 शिमला-09 प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

- 1 निवेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेत प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नीर हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बारंग, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881